

# न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

अधीकारी-नरेश कुमर शर्मा

आई0ए0एस0

07/2017

अधीकारी

अधीकारी

अधीकारी

अधीकारी

अधीकारी पुत्रान लालू

अधीकारी उर्फ बल्लो बेवा राम विलास समस्त जाति मीणा समस्त निवासी निर्झरना तहसील लालसोट जिला दौसा

अधीकारी

अधीकारी पुत्रान रामबिलास नाबालिग जरिए प्राकृतिक संरक्षिका एवं माता मु0 राजन्ती उर्फ बल्लो निवासी निर्झरना तहसील लालसोट जिला दौसा ..प्रार्थीगण

बनाम

1. नोहन लाल

2. मोती लाल पुत्रान कल्याण

3. हरबाई पत्नी कल्याण समस्त जाति मीणा निवासी निर्झरना तहसील लालसोट जिला दौसा

4. आवंटन सलाहाकार समिति, दौसा जरिये अध्यक्ष, उपखण्ड अधिकारी, लालसोट जिला दौसा

5. राजस्थान राज्य सरकार जरिए तहसीलदार लालसोट जिला दौसा

..अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ0धा0 14 (4)

भू-आवण्टन नियम-1970

उपस्थिति-1. श्री राज कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष

2. श्री अशोक बटवाल अधिवक्ता अप्रार्थी पक्ष


निर्णय

दिनांक: 24.01.18

संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) भू-आवण्टन नियम-1970 इस प्रकार है कि यह प्रार्थना-पत्र अति0 जिला कलेक्टर, दौसा के न्यायालय से माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, के निर्णय दिनांक 13.04.2017 की पालना में इस न्यायालय को स्थानांतरित होकर प्राप्त होने पर प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रकरण का संक्षेप में तथ्य है कि दिनांक 27.10.1977 को आ0ख0नं0 30 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा भूमि का आवंटन ग्राम निर्झरना तहसील लालसोट जिला दौसा में अप्रार्थी सं0 एक व दो के पिता तथा अप्रार्थिया सं0 3 के पति कल्याण पुत्र मंगला मीना को कर दिया गया । इसी आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अ0धा0 14 (4) के तहत प्रस्तुत किया गया है ।

बहस उभय पक्ष सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष की बहस में दलील है कि आराजी खसरा नंबर 688/30 वर्तमान रकबा 8 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम निर्झरना तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है । उक्त आराजी भूमि पूर्व में राजस्व रिकॉर्ड में सिवाय चक पुराने खसरा नंबर 30 दर्ज रहे है । उक्त आराजीयात पर प्रार्थीगण काबिज काशत है । प्रार्थीगण के उक्त आराजीयात पर मकानात आदि भी बने हुए है । उक्त आराजी भूमि पर प्रार्थी व उनके बुजुर्गान का भौतिक व वास्तविक स्थायी आधिपत्य होते हुए भी बिना कब्जे की जाँच किये अप्रार्थीगण के पिता कल्याण पुत्र मंगला मीना जो कि श्रीया गॉव का निवासी था दिनांक 27.10.1977 3 बीघा 13 बिस्वा भूमि का आवंटन कर दिया गया । ग्राम श्रीया में



कृषि योग्य भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी।  
आवंटन के नाम राजस्व रिकॉर्ड में 7 बीघा 4 बिस्वा कृषि योग्य भूमि ग्राम श्रीया में थी।  
कृषि योग्य भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आता है। क्योंकि उसकी व संयुक्त परिवार के खाते में कृषि  
योग्य भूमि हो तो उसे आवंटन नहीं किया जा सकता। आवंटन विधि विरुद्ध एवं तथ्यों के विपरीत  
आवंटन विधि विरुद्ध प्रार्थीगण द्वारा यह प्रा० पत्र आवंटन आदेश अधिकारी विहिन,  
आवंटन विहिन एवं शून्य आदेश है तथा ऐसे आदेशों को निरस्त करवाने के लिये मियाद अधिनियम  
1970 के अन्तर्गत नहीं करती है। प्रकरण के संबंध न्यायिक उद्घरण अवलोकनीय व विचारणीय  
आवंटन विहिन 1993 पेज नंबर 485, आरआरटी 1995 पेज नंबर 340, आरआरडी 1993 पेज नंबर 485,  
आरआरडी 1997 पेज नंबर 190, आरआरडी 1982 पेज नंबर 521, एआईआर 1972 एससी  
आरआरटी 2015 (2) पेज 790 (आरबी) आदि प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र अ०धा० 14 (4) भू-आवण्टन  
नियम-1970 स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश निरस्त फरमाया  
जावे।

सिद्धान्त अधिवक्ता अप्रार्थी पक्ष की बहस में दलील है कि यह है कि आवंटन केमटी द्वारा तहसील  
कलकट के ग्राम निर्झरना के साबिक खसरा नम्बर 30 जो कि सिवायचक राजस्व रिकार्ड की भूमि  
को जो आवंटित भूमि से लगती हुई 3 बीघा 13 बिस्वा भूमि जो कि स्ट्रीप ऑफ लैण्ड की तारीफ में  
आती है पर आवंटि कल्याण पुत्र मंगला का काफी पुराना कब्जा मानते हुए दिनांक 27.10.77 को  
विधिवत रूप से नियमन किया गया जिसके संबंध में सम्पूर्ण पटवारी हल्का की रिपोर्ट पत्रावली पर  
उपलब्ध है ऐसे नियमन की कार्यवाही को भी माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त जो कि  
1996 आर आर डी पेज 525 पर उददत्त किया गया है कि माध्यम से भी कानूनन 37 वर्ष बाद चुनौती  
नही दी जा सकती है। तत्पश्चात् आवंटित भूमि का विधिवत कब्जा सुपुर्द किया गया व गैर खातेदारी  
का नामान्तरकरण तस्दीक किया गया व आवंटि कल्याण की मृत्यु होने के पश्चात् उसके कानूनी  
वारिसान अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के नाम खातेदारी का नामान्तरकरण तस्दीक किया जाकर उक्त  
आवंटि कल्याण पुत्र मंगला के वारिसान को पूर्ण खातेदारी अधिकार विधिवत रूप से प्रदान किये गये।  
उक्त आवंटन के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 185 दिनांक 06.04.77 एवं नामा० संख्या 229 दिनांक  
15.11.77 जो कि आवंटि के वारिसान के पक्ष में विधिवत रूप से भरा गया था की दो अपील क्रमशः  
32/13 व 33/13 के माध्यम से 37 वर्ष पश्चात् सन् 2013 में प्रार्थीगण द्वारा चुनौती दी गई थी।  
किन्तु उक्त नामान्तरकरण को भी अति० जिला कलक्टर दौसा द्वारा अपने विधिवत आदेश दिनांक 02.  
02.16 के माध्यम से पूर्ण विधिवत मानते हुए प्रार्थीगण की उक्त दोनों अपीलें निरस्त की गई।  
प्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत भूमि पर अपना कब्जा होना असत्य व मनगढत आधारों पर बताया गया है।  
क्योंकि प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रश्नगत आराजी भूमि पर अपना कब्जा किसी भी प्रकार से पत्रावली पर  
नहीं है। ग्राम निर्झरना व श्रीमा बिलकुल पास पास के गांव है तथा आवंटि ग्राम निर्झरना का भी  
निवासी है। विधि का भी यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि जिस गांव की भूमि आवंटित की जाती है  
उस गांव में यदि किसी व्यक्ति द्वारा आवंटन हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है एवं  
अन्यत्र गांव के व्यक्ति को ऐसी दशा में यदि भूमि का आवंटन कर दिया जाता है तो वह किसी भी  
प्रकार से कानूनन अवैधानिक नहीं हो सकता है। जिससे यह प्रमाणित होता है कि प्रार्थीगण द्वारा  
अपने कब्जे को नियमन कराये जाने बाबत तत्समय कोई प्रार्थना पत्र लंबित नहीं था ऐसी स्थिति वह  
व्यक्ति कानूनन आवंटन नियम 14(4) 1970 के तहत ऐसे किसी प्रार्थना पत्र के माध्यम से ऐसे आवंटन  
को कानूनन चुनौती नही दे सकता है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त आधारहीन तथ्यों के आधार  
पर उक्त प्रार्थना पत्र असत्य तथ्यों पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। 37 वर्ष  
उपरान्त इतने पुराने आवंटन को जिसमें कि खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये हो ऐसे आवंटन  
को कानूनन माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च  
न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त को अनदेखा कर कानूनन  
निरस्त नही किया जा सकता है जिसके फलस्वरूप प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र कानूनन निरस्त किये  
जाने योग्य है। अप्रार्थी की ओर से निम्नलिखित कानूनी नजीरें प्रस्तुतः-1995 आरबीजे (2) पेज  
734, 1996 आरआरडी पेज 234, 1995 आरबीजे (2) पेज 780, 1995 डीएनजे पेज 592, 1996 आरआरडी  
पेज 501, 1993 आरआरडी पेज 596, 1996 आरआरडी पेज 525, 1994 आरआरडी पेज 87, 1981



अप्रार्थी को प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र अ० धा० 14 (4) भू-आवंटन नियम-1970 अस्वीकार कर आवंटन आदेश दिनांक 27.10.1977 बहाल रखा जावे।

अप्रार्थी की मौखिक/ लिखित बहस पर मनन किया गया तथा उनके द्वारा बहस में अंकित दस्तावेजों सहित पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अप्रार्थी द्वारा नंबर 30 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा छोटी पट्टी के तहत राजपत्र संख्या एफ 6 दिनांक 4.4.77 के तहत अतिक्रमिता आराजी छोटी टुकड़ी की तारीफ में आता है कि निम्न योग्य है- अंकित कर नियमन किया गया है। तत्पश्चात पूर्ण कोरम द्वारा उक्त भूमि का आवंटन किया गया है। जिसका अप्रार्थीगण के गैर खातेदारी का नामान्तरकरण तस्दीक होकर आवंटन भी तस्दीक हो चुकी है। जहाँ तक प्रार्थीगण का विवादित भूमि पर कब्जा होना बताया है, अप्रार्थी द्वारा ऐसे कोई दस्तावेजी सबूत व कोई स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किया गया। जिससे उनके आवंटन की पुष्टि नहीं होती है। अप्रार्थी को वरवक्त मौके पर कब्जा के आधार पर आवंटन/नियमितिकरण किया गया है, इससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी का वहाँ पुराना कब्जा था और नियमों के परिपेक्ष में कब्जे के आधार पर आवंटन किया गया है। चूँकि जब भूमि धारित ग्राम में कोई आवेदन नहीं होने या पात्र नहीं होने की स्थिति में अप्रार्थी को आवंटन किया जाना परिलक्षित होता है। क्योंकि पत्रावली पर ऐसा कोई दूसरा प्रार्थना-पत्र लंबित नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि अप्रार्थी को इकतरफा या अवैधानिक रूप से आवंटित कर दिया गया हो। पत्रावली में संलग्न जानाबंदी संवत् 2025-2028 में 22 बीघा 9 बिस्वा भूमि अंकित है। भूमि संयुक्त परिवार की भूमि है, जिसमें उसका नोशनल शेयर स्वयं प्रार्थी 7 बीघा 4 बिस्वा कहकर आये है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी/आवंटी भूमिहीन की श्रेणी में आता है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपने आवंटन आदेश में अप्रार्थी कल्याण को भूमिहीन होने पर ही आवंटन किया गया है। आवंटन आदेश के क्रम में तस्दीक किये गये नामान्तरकरण को प्रार्थीगण द्वारा चुनौती दी गई थी। जिसे न्यायालय अति० जिला कलेक्टर दौसा द्वारा दिनांक 02.02.16 को अपील निरस्त की गई है। साथी ही प्रार्थीगण द्वारा लगभग 37 वर्ष पश्चात यह प्रार्थना-पत्र पेश किया गया है, जो मियाद के बिंदु पर ही चलने योग्य नहीं है। फिर भी प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रा० पत्र व वरवक्त बहस में मियाद के बिंदु पर कई न्यायिक दृष्टांत पेश कर प्रकरण को मियाद के अंदर ही सम्मिलित कर सुनवाई हेतु निवेदन किया है। ऐसी स्थिति में जहाँ तक मियाद के बिंदु का प्रश्न है, तो हमने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि प्रकरण पर सीधा ही कोई विचार न किया जाकर प्रकरण को मैरिट पर ही सुना जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, जिससे न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत की पालना भी होती है तथा प्रकरण के संबंध में गुणावगुण पर विचार किया जाकर निर्णय पारित किया जाने में सम्पूर्ण स्थिति की जानकारी होती है। इसलिए प्रकरण को मैरिट पर ही विचार किया गया है। न्यायालय हाजा को इस प्रकरण में केवल यह देखना कि अप्रार्थी को किया गया आवंटन नियमों एवं प्रक्रिया के तहत किया गया है अथवा नहीं। इसलिए इस प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना प्रतीत होता है। प्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में ऐसे कोई दस्तावेजात/साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे उनके कथन की पुष्टि नहीं होती है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरें इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों, कानूनी नजीरों एवं दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी कल्याण को किया गया आवंटन विधिवत किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रा० पत्र 14 (4) खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रा० पत्र 14 (4) अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। अप्रार्थी कल्याण के पक्ष में किया गया आवंटन दिनांक 27.10.1977 बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित प्रेषित की जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



(नरेश कुमार शर्मा)  
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक: 24 जनवरी, 2018 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश कुमार शर्मा)